



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234270
CG-DL-E-17032022-234270

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1135]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/ फाल्गुन 25, 1943

No. 1135]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2022

का.आ. 1175(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5498 (अ). दिनांक 31 दिसम्बर 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के मधुबनी जिले में NH527A के कि.मी. 0 से कि.मी. 13.3 (जिला भू-अर्जन कार्यालय, समाहरणालय, मधुबनी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "07 फरवरी 2022" को "हिन्दुस्तान" और "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के मधुबनी जिले में NH527A के कि.मी. 0.000 से कि.मी.13.300 (जिला भू-अर्जन कार्यालय, समाहरणालय, मधुबनी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: मधुबनी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मधेपुर				
	गांव का नाम: भेजा				
1	4751	निजी	कृषि	0.02388	गमक यादव एँस्/ओ- गुलाई यादव वो जनक यादव एँस्/ओ- किशोरी यादव (4751)
2	7798	निजी	कृषि	0.01226	देवनजी पंडित एँस्/ओ- धातु पंडित वो श्रीनाथ मिश्र एँस्/ओ- द्वारिका मिश्र वो नारायान् मिश्र एँस्/ओ- विश्वनाथ मिश्र (7798)
3	7803	निजी	कृषि	0.02665	नीरस साह एँस्/ओ- सरयुग साह (7803)
4	7806	निजी	कृषि	0.08866	रामजी राउत एँस्/ओ- जागेश्वर राउत (7806)
5	7819	निजी	कृषि	0.00608	बिदेश्वर पाठक एँस्/ओ- रघु पाठक (7819)
	गांव का नाम: लिलजा				
6	111	निजी	कृषि	0.00977	उचित यादव एँस्/ओ- लाल यादव (111)

7	13	निजी	कृषि	0.0059	मोगल कुजरा ऍस्/ओ- कैलू कुजरा (13)
8	219	निजी	कृषि	0.00498	सैनी मंडल ऍस्/ओ- रूपचंद मंडल (219)
9	230	निजी	कृषि	0.00743	ठाको मंडल यूआरएफ ढकाई मंडल ऍस्/ओ- भोला मंडल (230)
10	247	निजी	कृषि	0.00458	बासुदेव साह ऍस्/ओ- रामजी साह (247)
गांव का नाम: मणि महपतिअ					
11	405	निजी	कृषि	0.00307	प्रेमलाल यादव ऍस्/ओ- मधुकर यादव (405)
12	410	निजी	कृषि	0.01652	दुखी साडा ऍस्/ओ- झिंगूर साडा (410)
गांव का नाम: परसौनी					
13	59	निजी	कृषि	0.00536	सत्यदेव पाठक वो शिवनारायण पाठक वो नागेश्वर पाठक वो रामनारायण पाठक वो इंद्रनारायण पाठक ऍस्/ओ- यदु पाठक (59)
			कुल	0.21514	

[फा. सं. 142/13/2015-TPL/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2022

S.O. 1175(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 5498(E). dated- 31st December 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH527A on the stretch of land from Km. 0 to Km. 13.3 (District Land Acquisition Office, Collectorate, Madhubani) in the district of MADHUBANI in the state of BIHAR;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan” and “The Times of India” both dated 07th February 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH527A in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 13.300 of NH527A (District Land Acquisition Office, Collectorate, Madhubani) in the district of MADHUBANI in the state of BIHAR.

State: BIHAR		District: MADHUBANI			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Madhepur				
	Village: Bheja				
1	4751	Private	Agriculture	0.02388	Gamak yadav s/o- Gulayi yadav wo Jnak Yadav s/o- Kishori Yadav 4751
2	7798	Private	Agriculture	0.01226	Devanji Pandiit s/o- Dhatu pandiit wo Shrinath mishr s/o- Dwarika mishr wo Narayan Mishr s/o- Wishwanath Mishr 7798
3	7803	Private	Agriculture	0.02665	Niras Saah s/o- Saryug Saah 7803
4	7806	Private	Agriculture	0.08866	Ramji Raaut s/o- Jaageshwar raaut 7806
5	7819	Private	Agriculture	0.00608	Bindeshwar Paathaak s/o- Raghu paathaak 7819
	Village: Lilja				
6	111	Private	Agriculture	0.00977	Uchit Yadav S/o- Laal Yadav 111
7	13	Private	Agriculture	0.0059	Mogal Kujra S/o- Kailu Kujra 13
8	219	Private	Agriculture	0.00498	Saini Mandal S/o- Roopchand mandal 219

9	230	Private	Agriculture	0.00743	Thako mandal urf Dhakayi Mandal S/o- Bhola Mandal 230
10	247	Private	Agriculture	0.00458	Basudev Saah S/o- Ramji Saah 247
Village: Mani Mahpatia					
11	405	Private	Agriculture	0.00307	Premtaal yadav S/o- Madhukar Yadav 405
12	410	Private	Agriculture	0.01652	Dukhi Sada S/o- Jhingur Sada 410
Village: Parsauni					
13	59	Private	Agriculture	0.00536	Satyadev paathak wo Shivnarayan Paathak wo Nageshwar paathak wo Ramnarayan Paathak wo Indranarayan Paathak S/o- Yadu Paathak 59
			TOTAL	0.21514	

[F. No. 142/13/2015-TPL/3D]

RAJESH GUPTA, Director